

न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 3215/विधि

सहरसा, दिनांक 02-11-2023

प्रतिलिपि:-

समाहर्ता / जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आर्बिट्रेशन वाद सं0-77/2020 में दिनांक-31.10.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

प्रतिलिपि:-


परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, बेगूसराय द्वारा अधिवक्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

श्री अभिजीत कुमार, पिता-शिवचन्द्र प्रसाद यादव, सा0-बख्तियारपुर, जिला-सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

आई0टी0 असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय वेबसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।


प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

बख्तियारपुर/ 64	728	5132	कृषि	2137415/ -	0.02	1,09,615	वाद सं0- 08/2014-15 पंचाट सं0-119
--------------------	-----	------	------	---------------	------	----------	---

आवेदक के द्वारा मूल रूप में उनकी अधिग्रहित भूमि के रकवा एवं किस्म के संबंध में आपत्ति की गई है। उनका कहना है कि उपरोक्त वर्णित नोटिस में उनके अधिग्रहित भूमि का रकवा 0.02 डिसमिल अथवा 09 धूर अधिग्रहित किया जाना अंकित है, किन्तु प्रश्नगत भूमि का चौहद्दी अंकित नहीं किया गया है। जिस कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उनकी कितनी भूमि अधिग्रहित की गई है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के द्वारा दस्तावेज सं0-412 एवं 413 दिनांक 27.01.2016 से क्रय की गई भूमि का एक खण्ड है, जिसका कुल रकवा 0-1-3-10 धूरकी है। आवेदक का कहना है कि प्रश्नगत भूमि मूलरूप से आवासीय भूमि है, किन्तु आक्षेपित नोटिस में

आदेश पत्रक - ता०.....से.....तक
 जिला....., सं०....., सन् १९.....
 केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में तिथि, तारीख-सहित																
	<p style="text-align: center;">आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा</p> <p style="text-align: center;">आर्बिट्रेशन वाद संख्या:-77/2020</p> <p style="text-align: center;">अभिजीत कुमार.....आवेदनकर्ता</p> <p style="text-align: center;">-बनाम-</p> <p style="text-align: center;">राज्य.....रेसपॉण्डेन्ट</p> <p style="text-align: center;">-:: आदेश ::-</p> <p>प्रस्तुत वाद अभिजीत कुमार, पिता-शिवचन्द्र प्रसाद यादव, सा०-बख्तियारपुर, थाना-बख्तियारपुर, जिला-सहरसा के द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-107 (महेशखुट-सोनवर्षा राज-सहरसा-मधेपुरा-पूर्णिचाँ खण्ड तक) के लिए उनकी निम्न वर्णित अर्जित भूमि का सही रकवा निर्धारित नहीं किये जाने तथा किस्म "कृषि" निर्धारित किये जाने के कारण सक्षम प्राधिकार -सह-जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा के वाद सं०-08/2014-15, पंचाट सं०-119 से संसूचित सही प्रतिकर का निर्धारण नहीं किये जाने के विरुद्ध दायर किया गया है :-</p> <table border="1" data-bbox="365 1249 1356 1459"> <thead> <tr> <th>मौजा/थाना नं०</th> <th>ख़ाता सं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>भूमि की किस्म</th> <th>दर प्रति (एकड़ में)</th> <th>रकवा</th> <th>प्रतिकर की रशि</th> <th>अभ्युक्ति</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>बख्तियारपुर/ 64</td> <td>728</td> <td>5132</td> <td>कृषि</td> <td>2137415/ -</td> <td>0.02</td> <td>1,09,615</td> <td>वाद सं०- 08/2014-15 पंचाट सं०-119</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक के द्वारा मूल रूप में उनकी अधिग्रहित भूमि के रकवा एवं किस्म के संबंध में आपत्ति की गई है। उनका कहना है कि उपरोक्त वर्णित नोटिस में उनके अधिग्रहित भूमि का रकवा 0.02 डिसमिल अथवा 09 धूर अधिग्रहित किया जाना अंकित है, किन्तु प्रश्नगत भूमि का चौहद्दी अंकित नहीं किया गया है। जिस कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उनकी कितनी भूमि अधिग्रहित की गई है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के द्वारा दस्तावेज सं०-412 एवं 413 दिनांक 27.01.2016 से क्रय की गई भूमि का एक खण्ड है, जिसका कुल रकवा 0-1-3-10 धूरकी है। आवेदक का कहना है कि प्रश्नगत भूमि मूलरूप से आवासीय भूमि है, किन्तु आक्षेपित नोटिस में</p>	मौजा/थाना नं०	ख़ाता सं०	खेसरा सं०	भूमि की किस्म	दर प्रति (एकड़ में)	रकवा	प्रतिकर की रशि	अभ्युक्ति	बख्तियारपुर/ 64	728	5132	कृषि	2137415/ -	0.02	1,09,615	वाद सं०- 08/2014-15 पंचाट सं०-119	
मौजा/थाना नं०	ख़ाता सं०	खेसरा सं०	भूमि की किस्म	दर प्रति (एकड़ में)	रकवा	प्रतिकर की रशि	अभ्युक्ति											
बख्तियारपुर/ 64	728	5132	कृषि	2137415/ -	0.02	1,09,615	वाद सं०- 08/2014-15 पंचाट सं०-119											

किस्म "कृषि" अंकित करते हुए प्रतिकर निर्धारित किया गया है। उनका कहना है कि उक्त भूमि के अधिग्रहण से संबंधित हिन्दुस्तान अखबार में प्रकाशित गजट दिनांक 07.06.2016 में प्रश्नगत खेसरा-5132 का किस्म "आवासीय" अंकित है, किन्तु रैयत के रूप में उनका नाम नहीं है। प्रश्नगत खाता खेसरा में से ही दिनांक 24.10.2013 को क्रय-विक्रय की गयी भूमि का दस्तावेज संलग्न करते हुए आवेदक का कहना है कि विक्रेता के द्वारा 1.1 डिसमिल (05 धूर) भूमि 2,00,000/- (दो लाख) रूपया में बेची गई। तदनुसार प्रश्नगत अधिग्रहित भूमि का मूल्य 3,63,636 रु० तथा उनके द्वारा उक्त राशि का दोगुणा 7,27,272/-रु० का दावा किया गया है। उक्त तथ्यों के आलोक में उनके द्वारा आक्षेपित नोटिस के द्वारा संसूचित प्रतिकर की राशि को पुनरीक्षित करने का अनुरोध किया गया है।


जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक 229-2 दिनांक 19.02.2021 से प्रतिवेदित किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा-3A के तहत प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 06.05.2015 तथा धारा-3D के तहत दिनांक 02.05.2016 को प्रकाशित अधिसूचना में प्रश्नगत खेसरा 5132 का किस्म / प्रकृति "आवासीय" दर्ज है। समाहर्ता, सहरसा के पत्रांक 414-2/भू0अ0, दिनांक 17.08.2018 द्वारा गठित उचित प्रतिकर पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति द्वारा मौजा-बख्तियारपुर/64 अन्तर्गत निरीक्षणोपरान्त समर्पित प्रतिवेदन (जो समाहर्ता, सहरसा द्वारा दिनांक 19.11.2018 को सम्पुष्ट है) में खेसरा 5132 का किस्म / प्रकृति "कृषि" अंकित है। उक्त छः सदस्यीय उचित प्रतिकर एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति से प्राप्त स्थल निरीक्षणोपरान्त प्रतिवेदन के आलोक में विहित रीति से प्रतिकर की गणना कर मुआवजा भुगतान हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में सक्षम प्राधिकार-सह-जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा किस्म परिवर्तन तथा मुआवजा भुगतान से संबंधित आवेदक द्वारा दायर वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकरण की ओर से उनके विज्ञ अधिवक्ता कहना है कि प्रश्नगत भूमि के किस्म तथा प्रतिकर की दर का निर्धारण समाहर्ता, सहरसा की अध्यक्षता में छः सदस्यीय समिति के द्वारा किये जाने के उपरान्त राष्ट्रीय उच्च पथ द्वारा स्वीकृति दी गई। तत्पश्चात्

Gan


सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित रीति से प्रतिकर की गणना नियमानुसार कर भुगतान प्राप्त करने हेतु आवेदक को नोटिस किया गया। उक्त स्थिति में आवेदक द्वारा भूमि का किस्म परिवर्तन तथा दर परिवर्तन हेतु दिये गये आपत्ति पर विचार नहीं किया जा सकता है। उनके अनुसार आवेदक का दावा काल्पनिक तथ्यों पर आधारित है, क्योंकि अधिग्रहण के समय प्रश्नगत भूमि का स्वरूप पूर्णतः "कृषि" था। उक्त के आलोक में उनके द्वारा प्रस्तुत आबिट्रिशन वाद को खारिज करने योग्य बताया गया है।

सभी पक्ष को सुनने, अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकनोपरान्त यह स्पष्ट है कि छः सदस्यीय उचित प्रतिकर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति द्वारा स्थल निरीक्षणोपरान्त नगर पंचायत सिमरी बख्तियारपुर के बाईपास हेतु वर्तमान NH-107 के उत्तर अवस्थित अर्जनाधीन सभी खेसरा/प्लॉट को कृषि कार्य हेतु प्रयुक्त पाते हुए RFCTLARR Act-2013 की धारा-26(i)(b) के प्रावधानानुसार विकासशील श्रेणी के भूमि रूप में प्रवृत्त भूमि के MVR में मूल्य के आधार पर दर निर्धारण किया गया तथा RFCTLARR Act-2013 की धारा-24 के प्रावधानानुसार विहित रीति से अर्जनाधीन "कृषि" भूमि के लिए मो0-21,374.15 रु0 प्रति डी0 की दर से दर निर्धारण की अनुशंसा किये जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रश्नगत खेसरा के रकबा के लिए नियमानुसार प्रतिकर का निर्धारण कर हितबद्ध रैयत को मुआवजा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। अतः प्रश्नगत भूमि के किस्म को पुनरीक्षित करने का कोई आधार एवं औचित्य नहीं है। इसी के साथ आवेदक के दावे को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजे।


आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं संशोधित।


आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा।